Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Review Case No.-44/2026 In Anganwadi Revision Case No-47/2024]

Aasha Devi.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	10.4.2026	**आदेश** माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आशा देवी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या-9899/2016 (Aasha Devi V/s The State Of Bihar) में दिनांक-08.12.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत्त है:- Learned counsel for the petitioner outrightly submits that this writ petition may be disposed of with liberty to the petitioner to move before the appropriate forum in accordance with the law as this case is not maintainable in view of the paragraph no. 4 of the judgment of Division Bench of this Court rendered in the case of Neetu Kumari V/s State of Bihar & Others reported in 2011(4) PLJR 20 which reads as follows :- "In our considered view, the post of Anganbari Sevika is not a post having security of tenure or protection under Article 311 of Constitution of India. Considering the very nature of engagement which provides for honorarium, we are not of the view that in case the appellant still feels aggrieved, she may approach the Civil Court for damages. There is nothing at stake in such a scheme other than honorarium. For such contractual engagements the relief of reinstatement is not appropriate and even if there is breach of the scheme or any other principle of law, the claim should ordinarily be permitted, if found good on merits, only for damages. Accordingly, this writ petition is disposed of with the liberty to the petitioner to move before the appropriate forum in accordance with the law. उपरोक्त आदेश के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निर्मला कुमारी की ओर से दायर MJC No-95/2025 में दिनांक-03.4.2026 को पारित आदेश निम्नवत्त है:- It appears from paragraph-5 of the show cause filed on behalf of opposite parties, the order of this Court has not been complied and the authority has exceeded his jurisdiction to pass an order which is contravention of the order dated 08-12-2023 passed in CWJC No.9899/2016. In view of the aforesaid, the opposite party No.4 is directed to be personally present through virtual mode on next Friday i.e. on 10.4.2026. Learned counsel for the State is directed to communicate this order to opposite party No.4 for its compliance. List this matter on 10.4.2026. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में आज दिनांक-10.4.2026 को VC के माध्यम से सुनवाई में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भाग लिया गया। तथा प्राप्त निदेश के आलोक में आंगनबाड़ी पुनरीक्षण अपील वाद संख्या-47/2024 में दिनांक-20.7.2024 को पारित आदेश का Review किया गया। समीक्षोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-195 के लिए CWJC संख्या-9899/2016 में दिनांक-08.12.2023 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक-12.3.2024	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

10.4.2026

को इस न्यायालय में उक्त पुनरीक्षण वाद सांस्थित किया गया था। जबकि रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऐसा कोई Specific आदेश नहीं दिया गया था।

उक्त आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-47/2024 में दिनांक-20.7.2024 को आंगनबाड़ी सेविका के पद पर आशा देवी को बहाल करने का आदेश पारित किया गया। जबकि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-195 (ग्राम पंचायत-करिहो) अत्यंत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र का है। तथा यह Admissible Position है कि आशा देवी अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। अर्थात बाहुल्य वर्ग से नहीं थीं। एवं तदनुसार संगत विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार इनका चयन विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित Findings के आलोक में आंगनबाड़ी चयन मार्गदर्शिका के बाहुल्य वर्ग के ही आंगनबाड़ी सेविका के चयन करने के स्थापित नियम के विपरीत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-47/2024 में पारित आदेश दिनांक-20.7.2024 को निरस्त करते हुए उक्त केन्द्र हेतु पूर्व चयनित निर्मला देवी को सेविका पद पर Reinstate किया जाता है। तथा जिला पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि निर्मला देवी को संविदा सेवा से संबंधित देय लाभ के साथ प्रश्नगत अवधि के मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

तदनुसार आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-47/2024 में दिनांक-20.7.2024 को पारित आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

इस आदेश की प्रतिलिपि उभय पक्ष, जिला पदाधिकारी, सुपौल, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., सुपौल तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल को अनुपालन हेतु दिया जाय। साथ ही आदेश की प्रति विद्वान Standing Counsel No.-7, श्री ज्ञान प्रकाश ओझा को अगली सुनवाई में प्राप्त निदेश के अनुपालन की स्थिति से माननीय उच्च न्यायालय, पटना को अवगत कराने हेतु भेजा जाय।

Priya K.
10/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Priya K.
10/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।